

श्री 11/25

अधिवक्ता अपीलान्त उपो/ अधिवक्ता अपीलान्त ने  
निपेदन किया कि वह उक्त अपील आगे नहीं  
चलाना चाहते हैं। पत्रावली जलिये No. 1 प्रिड्ड करि  
करमाये।

अपील  
पत्रावली

अधिवक्ता अपीलान्त के निपेदन पर उक्त  
जलिये No. 1 प्रिड्ड ज्यारिज की जाती है।

कैमल शुभार होकर ठाम्कर सेकम हो

No. 1 प्रिड्ड

(वकील-सपी)